न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(रामचरन शर्मा आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्या :– 17 / 2019
जीसीएमएस न :– 2019 / 00039
दायर दिनांक :– 03 / 04 / 2019
निर्णय दिनांक :– 02 / 09 / 2022

अनवान

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवगढ, जिला राजसमन्द (राज0)
———निगराकार

बनाम

1. श्रीमती टमुबाई पत्नि श्री प्रताप गुर्जर निवासी पितमपुरा,ग्राम पंचायत दौलपुरा, पचायत समिति एवं तहसील देवगढ
2. ग्राम पंचायत दौलपुरा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत दौलपुरा ग्राम पंचायत दौलपुरा पंचायत समिति एवं तहसील देवगढ
———गैर निगराकार

निगरानी याचिका अंन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध आदेश अधीनस्थ ग्राम पंचायत दौलपुरा पत्रावली संख्या 149 निर्णय दिनांक 20.12.2017 की पालना में दिया गया पट्टा बुक संख्या 7 का पट्टा कमांक 17 को निरस्त कराने बाबत्।

उपस्थित :–
1– श्री अब्दुल हकीम चुडीगर, अधिवक्ता निगराकार
2– श्री श्याम सुन्दर पालीवाल , अधिवक्ता गैर निगराकार

–: निर्णय :–

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । ग्राम पंचायत दौलपुरा द्वारा विक्रय भुखण्ड पर आवेदक गैर निगराकार संख्या 1 का कब्जा मान नियम विरूद्ध डी.एल.सी. दर पर बहुकिमती भुखण्ड को कम कीमत पर विक्रय किया। ग्राम पंचायत ने अपनी सम्पुर्ण कार्यवाही अनियमितापूर्ण तरीके से कर ग्राम पंचायत के हितो के विरूद्ध कार्य किया जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर जॉच अधिकारी ने अपनी जॉच में अधीनस्थ ग्राम पंचायत की कार्यवाही को नियम विरूद्ध व पंचायत के हितो के विरूद्ध पाये जाने से गैरनिगराकार संख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा नियम विरूद्ध होने से यह निगरानी पेश की है।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी तथा शामिल मिसल की गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई सम्पूर्ण विक्रय की कार्यवाही नियम विरूद्ध एवं पंचायत के हितों के विपरित होने से काबिल खारिज है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 158 में कमजोर वर्ग जिनके पास स्वयं के ग्रहस्थल अथवा गृह नहीं है के बारे में प्रावधान है लेकिन इस संबंध में ग्राम पंचायत ने कोई जॉच नहीं की जो एक आदेशात्मक नियम है। गैरनिगरानीकार संख्या एक के परिवार में रहने हेतु पहले से ही पितामपुरा में मकान व कृषि भुमि है जिस कारण वह इस नियम के बाहर हो पट्टा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है फिर भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पितामपुरा से पॉच किलोमीटर दूर दौलपुरा में आवेदन में आवेदित भुखण्ड पर कब्जा होने का कथन नहीं किया न ही कब्जे बाबत् साक्ष्य संकलित किया फिर भी कब्जे के आधार पर आपसी बातचीत से भूमि का विक्रय कर दिया जो अहस्तान्तरणीय है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पट्टा पर खांचा भूमि आपसी सहमती से देने की बात कही जबकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 144 में खाचा भूमि केवल उन्हीं व्यक्तियों को आंवटित करने के बारे में कथन किया है जिनके मकान या दुकान से ऐसी भूमि लगी हुई हो। आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में ऐसी भुमि बाबत् उल्लेख नहीं किया है। राजस्थान पचायती राज नियम 1996 के नियम 154 में विक्रय की पुष्टि के संबंध में प्रावधान है इस नियम के उपनियम 3 क में 10,000/– रूपये से 50,000/– रूपये तक की निलामी विक्रय की पुष्टि पंचायत समिति से करवाये जाने का उल्लेख है इस नियम की टिप्पणी में पट्टी भूमि के विक्रय या बातचीत द्वारा विक्रय जो 10,000/– रूपये से अधिक का हो की पुष्टि भी पट्टा जारी करने के पूर्व अपेक्षित होगी लिखा है। डीएलसी दर भूमि की स्थिति अनुसार निर्धारित होती हैं गैरनिगराकार संख्या 1 को विक्रय की गई भूमि के दक्षिण की और देवगढ से भीलवाडा जाने वाला मेघा राज मार्गएवं पूर्व की और ग्रामीण रास्ता है अर्थात दो रास्तों से सलग्न भुमि अपेक्षाकृत अधिक दर की होती है यदि अधीनस्थ ग्राम पंचायत गैरनिगराकार संख्या दो इस भुमि की राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 142 के तहत वाणिज्यिक योजना तैयार कर वाणिज्यिक भुखण्ड की खुली निलामी करता तो ग्रम पंचायत को लाखों रूपये की आय का अर्जन होता लेकिन ग्राम पंचायत ने गैरनिगरानीकार संख्या एक के प्रभाव एवं वर्चस्व के तले दब किमती जमीन काफी कम मुल्य में गैरनिगराकानीकार संख्या 1 को विक्रय कर उसे काफी कम मूल्य में गैरनिगरानीकार संख्या 1 को विक्रय कर–

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

(3)

उसे काफी आर्थिक फायदा दे ग्राम पंचायत को वित्तीय नुकसान पहूॅचाया है। अतः निगरानीकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत दौलपुरा द्वारा उसकी पत्रावली कमांक 149 निर्णय दिनांक 20.12.2017 की पालना में गैरनिगरानीकार संख्या एक को पट्टा बुक संख्या 7 से जारी पट्टा कमांक 17 को निरस्त फरमाया जावें।

गैरनिगराकार के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया हैं कि उक्त पट्टा विधि सम्मत प्रकिया अपनाते हुए जारी किये गये हैं। निगराकार ने तथ्य के रूप में गलत बाते लिखी है, पंचायत द्वारा विधि सम्मत प्रकिया अपनाते हुए गैरनिगराकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। अतः निगराकार की निगरानी अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत दौलपुरा द्वारा जारी पट्टे को यथावत् रखा जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, विधिक नजीरों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.02.2019, दृष्टिगत के आधारों पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत दौलपुरा द्वारा उसकी पत्रावली कमांक 149 निर्णय दिनांक 20.12.2017 की पालना में गैरनिगरानीकार संख्या 1 को पट्टा बुक संख्या 7 से जारी पट्टा कमांक 17 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत दौलपुरा को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के मौके कि वस्तु स्थिति, विधिक प्रावधानों एवं नियमों के परिपेक्ष्य में परिक्षण कर उपरोक्त आर्ब्जवेशन को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त पट्टे के सम्बन्ध में युक्तियुक्त सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर साक्ष्य– सबुतों व गुणावगुण के आधार पर सुस्थापित विधिक प्रकियानुसार विधि सम्मत कार्यवाही सम्पादित करें।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

02/09/2022

(रामचरण शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द